

14.05.2024 पत्रावली पेश हुई | अधिवक्ता वरिष्ठ
अभिमत / अधिवक्ता वरिष्ठ ने अपने
दावे को जरिये ग्रेजुएट में खारिज
करने का निवेदन किया।

अतः अधिवक्ता वरिष्ठ के निवेदन पर
दावा अन्तर्गत धारा 180 राजस्थान
अधिकांश अधिनियम जरिये ग्रेजुएट इल
लव पर खारिज किया जाया है।
पत्रावली कोर्ट शुभा लेफ्ट नम्बर
से उस की नाम दाखिल इल है।

सहायक कलेक्टर, सांघी
(उपखण्ड अधिकारी, सांघी)

